सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 510 राँची, शुक्रवार, 14 नवम्बर, 2025 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

12 नवम्बर, 2025

संख्या-एल0जी0-09/2024-50/लेज०,-- झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-11/11/2025 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2025
(झारखण्ड अधिनियम- 11, 2025)

विषय-सूची

अध्याय-I
प्रारंभिक

अध्याय-II
शुल्क विनियमन समिति का गठन

अध्याय – III
शुल्क विनियमन समिति की शक्तियां

अध्याय – IV

वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

अध्याय – V

विविध

झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2025

-: प्रस्तावना :-

झारखंड राज्य में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क विनियमित करने हेतु अधिनियम।

भारतीय गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो:-

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण:- झारखंड सरकार इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में, झारखंड राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा पेश किए जा रहे व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए फीस को विनियमित करने, मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस पर रोक लगाने के औचित्य के साथ तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है।

तदनुसार झारखंड व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2025 अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय -1

प्रारंभिक

1. (i) इस अधिनियम को झारखंड व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, **2025** कहा जाएगा। **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ और अनुप्रयोग**

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(iii) यह झारखंड राजपत्र में अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगा।

(iv) यह झारखंड राज्य में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, -

(1) "शैक्षणिक वर्ष" से तात्पर्य सामान्यतः प्रत्येक वर्ष 1 जून को या उसके बाद प्रारम्भ होने वाली बारह माह की अवधि से है;

(2) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" से तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 द्वारा स्थापित परिषद से है;

(3) "कैपिटेशन फीस" से तात्पर्य किसी भी नाम से ज्ञात किसी भी राशि से है, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, जो इस अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए नामांकित विद्यार्थी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या एकत्र की जाती है;

(4) "शुल्क" से तात्पर्य शुल्क विनियमन समिति द्वारा निर्धारित और अधिसूचित शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क सहित सभी प्रकार के शुल्क से है;

(5) "शुल्क विनियमन समिति" या "समिति" का तात्पर्य उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए शुल्क के विनियमन के लिए इस अधिनियम के धारा 3 के तहत गठित समिति है;

(6) “सरकार” से तात्पर्य झारखंड सरकार से है;

(7) "उच्च शिक्षण संस्थान" का आशय है एक महाविद्यालय या विद्यालय या संस्थान, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता हो, किसी राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध हो, जिसमें राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित एक निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 के अधिनियम 3) की धारा 3 के तहत एक संस्थान जो समविश्वविद्यालय (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) की घटक इकाई एवं उपयुक्त और सक्षम नियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो, या सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संस्थान शामिल हो;

(8) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद" से तात्पर्य कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (डी0ए0आर0ई), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित परिषद से है;

(9) "प्रबंधन" में प्रबंध समिति या कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय, समिति या कोई अन्य शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, शामिल है जिसमें किसी शैक्षणिक संस्थान के मामलों का प्रबंधन या प्रशासन करने की शक्ति निहित है;

परंतु किसी वक्फ बोर्ड का न्यासी बोर्ड या शासी निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं तथा विन्यासों और वक्फों से संबंधित किसी समय प्रवृत्त विधि के अधीन गठित या नियुक्त किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रबंधन समझा जाएगा;

(10) “राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग” का तात्पर्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 द्वारा स्थापित आयोग से है;

(11) "प्रवासी भारतीय" से तात्पर्य भारतीय मूल के माता-पिता से जन्मे और भारत से बाहर रहने वाले विद्यार्थी से है;

(12) “निर्धारित” का अर्थ इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;

(13) "व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम" का अर्थ है, -

(i) बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी;
(ii) डेंटल सर्जरी में स्नातक;
(iii) आयुर्वेदिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक;
(iv) यूनानी चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में स्नातक;
(v) प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में स्नातक;
(vi) होम्योपैथिक चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा में स्नातक;
(vii) अभियंत्रण में स्नातक;
(viii) प्रौद्योगिकी में स्नातक;
(ix) वास्तुकला में स्नातक ;
(x) फार्मेसी में स्नातक;
(xi) होटल प्रबंधन और भोजन प्रबंधन प्रौद्योगिकी में स्नातक;
(xii) नर्सिंग विज्ञान में स्नातक;
(xiii) कृषि विज्ञान में स्नातक;
(xiv) व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक;
(xv) विधायी कानून में स्नातक / विधि स्नातक (एलएलबी);
(xvi) शिक्षा में स्नातक;
(xvii) मेडिकल स्ट्रीम में सभी मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम;
(xviii) फार्मेसी में स्नातकोत्तर;
(xix) अभियंत्रण में स्नातकोत्तर;
(xx) प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर ;
(xxi) वास्तुकला में स्नातकोत्तर;
(xxii) नर्सिंग विज्ञान में स्नातकोत्तर ;
(xxiii) व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर;
(xxiv) विधायी कानून में स्नातकोत्तर / विधि में स्नातकोत्तर (एलएलएम);
(xxv) शिक्षा में स्नातकोत्तर ;
(xxvi) कृषि में मास्टर ऑफ साइंस, और
(xxvii) डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट या पोस्ट डॉक्टरेट स्तर का कोई अन्य पाठ्यक्रम, जैसा कि शुल्क विनियमन समिति समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित करे ;

(14) "विनियामक प्राधिकरण" से तात्पर्य किसी अधिनियम या नियम के तहत उच्च शिक्षा को विनियमित करने के उद्देश्य से स्थापित किसी भी वैधानिक राज्य या केंद्रीय विनियामक प्राधिकरण से है;

(15) "राज्य विश्वविद्यालय" का तात्पर्य सरकार के किसी भी अधिनियम के तहत घोषित राज्य विश्वविद्यालय से है;

(16) "व्यक्ति" का तात्पर्य किसी डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र या अन्य शैक्षणिक योग्यता की प्राप्ति के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम करने हेतु उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित व्यक्ति से है;

(17) "निजी विश्वविद्यालय" का अर्थ है सरकार के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय और इसका नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी निजी विश्वविद्यालयों की समेकित सूची में सूचीबद्ध है।

अध्याय-II

शुल्क विनियमन समिति का गठन

समिति का गठन और संरचना

3.(1) सरकार उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क के विनियमन के लिए शुल्क विनियमन समिति नामक एक समिति का गठन करेगी। समिति के गठन का स्वरूप निम्नवत होगा:-

(i) झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अनुशंसित झारखंड उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश	अध्यक्ष
(ii) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा नामित किसी भी राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति	उपाध्यक्ष
(iii) अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट	सदस्य
(iv) चिकित्सा, दंत चिकित्सा और नर्सिंग स्ट्रीम से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि अथवा इंजीनियरिंग और प्रबंधन स्ट्रीम से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नामित एक प्रतिनिधि अथवा कृषि स्ट्रीम से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा नामित प्रतिनिधि अथवा उपर्युक्त धाराओं के अलावा किसी अन्य धारा से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्	सदस्य

(v) सरकार के सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग या सरकार के सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग या सरकार के सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रकार पर आधारित होगा)	पदेन सदस्य सचिव

(2) समिति के सभी सदस्यों की निष्ठा निर्विवाद होनी चाहिए तथा उन्हें अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठा निस्संदेह रूप से प्राप्त होनी चाहिए।

(3) अध्यक्ष की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी जिसे अधिकतम एक वर्ष के लिए या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जा सकेगा।

(4) नियमों में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं के आधार पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा और वह अध्यक्ष की इच्छानुसार पद धारण करेगा।

(5) चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्यकाल अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

(6) शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष झारखंड सरकार या भारत सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समवर्ती रूप से पद धारण नहीं करेंगे ।

(7) इस धारा की उपधारा (i) और (iii) में उल्लिखित शुल्क विनियमन समिति के नामित सदस्यों को 03 वर्ष की अवधि के लिए या उनके पद पर बने रहने तक, जो भी पहले हो, नामित किया जाएगा।

(8) समिति की बैठकों के लिए कोरम कूल सदस्यों के आधे से निर्धारित की जाएगी।

(9) उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार शुल्क विनियमन समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा।

(10) सरकार, अधिमानतः इस अधिनयम के अधिनियमित होने के तीन महीने के भीतर, व्यापक प्रसार और जानकारी के लिए शुल्क विनियमन समिति के गठन को अधिसूचित करेगी।

4.(1) अध्यक्ष की नियुक्ति झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर सरकार द्वारा की जाएगी। **अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं त्यागपत्र**

(2) किसी भी निजी उच्च शिक्षण संस्थान से संबद्ध कोई भी सदस्य शुल्क विनियमन समिति का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) अध्यक्ष सरकार को उचित सूचना देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

(4) यदि सरकार अध्यक्ष का त्यागपत्र स्वीकार कर लेती है, तो झारखंड के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सरकार द्वारा वर्तमान अध्यक्ष के त्यागपत्र स्वीकार किए जाने की तिथि से अधिमानतः 2 (दो) महीने की अवधि के भीतर एक उपयुक्त प्रतिस्थापन को नामित किया जाएगा।

सरकार द्वारा भरी गई रिक्तियां

5.(1) अध्यक्ष की मृत्यु त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने की स्थिति में, सरकार इस अधिनयम के प्रावधानों के अनुसार, अधिमानतः पद रिक्त होने की तिथि से 03 माह के भीतर अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी।

(2) यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करेगा जब तक वह कर्तव्यों का प्रभार नहीं संभाल लेता।

सदस्यों का इस्तीफा और निष्कासन

6.(1) शुल्क विनियमन समिति का कोई भी सदस्य सरकार को संबोधित लिखित नोटिस द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

(2) सरकार, यदि उचित समझे, राज्य राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, लोकहित के आधार पर अध्यक्ष सहित किसी भी सदस्य को अपने पद से हटा सकती है।

(3) किसी भी सदस्य को बचाव करने का अवसर दिए बिना पद से नहीं हटाया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों को वेतन, बैठक शुल्क और भत्ते

7. शुल्क विनियमन समिति के अध्यक्ष और गैर-पदेन सदस्यों के वेतन, बैठक शुल्क और भत्तों का निर्धारण सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार किए जाएंगे।

अध्याय – III

शुल्क विनियमन समिति की शक्तियां

शुल्क विनियमन समिति की शक्तियां और कार्य

8. शुल्क विनियमन समिति को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी -

(i) प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान से व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना के साथ-साथ सभी प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की तिथियों को अधिसूचित करना, ताकि शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ से पहले उन्हें जांच के लिए समिति के समक्ष रखा जा सके;

(ii) निर्धारित नियमों, दिशा-निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में शुल्क की निगरानी और विनियमन करना;

(iii) सत्यापित करना कि क्या प्रत्येक संस्थान द्वारा प्रस्तावित शुल्क न्यायोचित है और यह मुनाफाखोरी या कैपिटेशन शुल्क वसूलने के समान तो नहीं है;

(iv) उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए लिये जाने वाले शुल्क की संरचना को अनुमोदित या संशोधित करना;

(v) समयबद्ध तरीके से शुल्क के संबंध में विद्यार्थियों की शिकायतों का निराकरण करना;

(vi) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अध्ययन कार्यक्रमों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के रूप में अधिसूचित करना;

(vii) अपने निष्कर्षों को औपचारिक रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों को सूचित करना, ताकि उचित समय-सीमा के भीतर, उल्लेखित कमियों को दूर करने का निर्देश दिया जा सके। उच्च शिक्षण संस्थानों को कमियों को शीघ्रता से पूरा करने की जिम्मेदारी के साथ साथ कमियों पर निष्कर्ष के विरुद्ध समिति के समक्ष अभ्यावेदन देने, इन दोनों का, सदैव अधिकार होगा;

(viii) इस अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रक्रियाओं, प्रारूपों, अनुसूचियों को किसी भी नाम से अनुमोदित और अधिसूचित करना;

(ix) अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राप्ति, अनुमोदन, स्पष्टीकरण या किसी अन्य घटना के लिए समयसीमा अधिसूचित करना, चाहे वह किसी भी नाम से हो।

समिति की प्रक्रिया और शक्तियां

केंद्रीय अधिनियम संख्या 05, 1908

9.(1) शुल्क विनियमन समिति को, इस अधिनियम के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक असैनिक न्यायालय में निहित हैं, अर्थात: -

(i) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी जांच करना;

(ii) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले किसी दस्तावेज अथवा अन्य भौतिक वस्तु के उत्पादन एवं खोज की आवश्यकता;

(iii) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(iv) सार्वजनिक अभिलेखों की मांग करना ;

(v) गवाहों की जांच के लिए आयोग निर्गत करना;

(vi) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;

(vii) कोई अन्य विषय जो निर्धारित किए जाएँ ।

(2) शुल्क विनियमन समिति को किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में ऐसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी, जिसे वह उचित समझे।

(3) शुल्क विनियमन समिति, जैसा वह उचित समझे, अपने समक्ष कार्यवाही में विद्यार्थियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकती है।

(4) इस अधिनियम के अंतर्गत सभी विवादों का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXXVII के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

शुल्क निर्धारण के कारक

10.(1) शुल्क विनियमन समिति उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ली जाने वाली शुल्क का निर्धारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए करेगी, अर्थात् -

(i) उच्च शिक्षण संस्थान का स्थान;

(ii) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति;

(iii) उपलब्ध आधारभूत संरचना ;

(iv) प्रशासन और रखरखाव पर व्यय;

(v) उच्चतर शिक्षण संस्थान की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक उचित अधिशेष, यदि कोई हो;

(vi) प्रवासी भारतीय छात्रों से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो;

(vii) उच्च शिक्षण संस्थान का अंकेक्षित लेखा ;

(viii) अन्य कोई कारक जिसे समिति उचित समझे।

(2) कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान, शुल्क विनियमन समिति के अनुमोदन के बिना व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी से किसी भी नाम या रूप में कोई शुल्क नहीं लेगा।

बशर्ते कि उच्च शिक्षण संस्थान, रिक्ति या अन्य कारणों से शुल्क विनियमन समिति की अनुपस्थिति में, अधिकतम एक शैक्षणिक वर्ष के व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क ले सकेगा । शुल्क विनियमन समिति के गठन के पश्चात, इस शुल्क को समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

(3) कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी से शुल्क विनियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी नाम या रूप में कोई शुल्क नहीं वसूलेगा।

(4) शुल्क विनियमन समिति द्वारा अनुमोदित और अधिसूचित शुल्क, अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए संबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए बाध्यकारी होगा। उक्त अवधि के अंत में उच्च शिक्षण संस्थान संशोधन के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस प्रकार निर्धारित शुल्क दिए गए शैक्षणिक वर्ष के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामांकित विद्यार्थी पर लागू होगा और व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के पूरा होने तक संशोधित नहीं किया जाएगा।

(5) समिति को उच्चतर शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए शुल्क संरचना की समीक्षा करने और अनुमोदित करने की शक्ति होगी, जो सामान्यतः तीन शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए होगी, तथा विशेष परिस्थितियों में, लिखित रूप में दर्ज कारणों से, एक या दो वर्ष की अवधि के लिए होगी।

(6) कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान किसी विद्यार्थी से एक वर्ष की फीस से अधिक फीस नहीं वसूलेगा।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को रियायत

(7) शुल्क विनियमन समिति उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों के विभिन्न व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के संबंध में अलग-अलग शुल्क निर्धारित कर सकती है और इस प्रयोजन के लिए वह समान स्तर के उच्चतर शिक्षण संस्थानों को व्यापक समूहों में रख सकती है।

बशर्ते कि शुल्क विनियमन समिति ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रवासी भारतीय विद्यार्थियों से अन्य विद्यार्थियों के लिए निर्धारित फीस के अलावा अधिक शुल्क वसूलने की अनुमति दे सकती है। इस उच्च शुल्क का उपयोग राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के विद्यार्थियों को शुल्क में रियायत प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

दंड

11.(1) किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान द्वारा कैपिटेशन शुल्क वसूलने या मुनाफाखोरी की किसी भी शिकायत की जांच शुल्क विनियमन समिति द्वारा की जाएगी, जो संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान के प्रबंधन से साक्ष्य और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद, उचित दंडात्मक कार्रवाई करेगी।

(2) जब तक संबंधित उच्च शिक्षण संस्थान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की विस्तृत प्रक्रिया शुल्क विनियमन समिति द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

(3) इस अधिनियम या इसके बाद बनाए गए नियमों या समिति द्वारा जारी निर्देशों के किसी प्रावधान के उल्लंघन और/या किसी आदेश का पालन न करने पर, दोषी पाये जाने पर, समिति

बीस लाख रुपये तक का दंडात्मक जुर्माना अधिरोपित कर सकती है।

(4) अधिनियम के किसी उपबंध या उसके पश्चात बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए उपधारा (3) के अधीन दंडात्मक जुर्माना अधिरोपित करने के अतिरिक्त, समिति उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण को मान्यता वापस लेने तथा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय को संबद्धता अस्वीकार करने की अनुशंसा कर सकती है, जो लागू हो।

(5) उप-धारा (3) के अधीन दंडात्मक जुर्माना, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में विनिर्दिष्ट जुर्माने के अतिरिक्त, बिना किसी पूर्वाग्रह के लगाया जा सकेगा।

अध्याय – IV
वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण

वित्त, लेखा और अंकेक्षण

12.(1) राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल द्वारा सम्यक् विनियोजन के पश्चात्, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समिति को ऐसी धनराशियां अनुदानित कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

(2) समिति की अपनी निधि होगी; तथा सरकार द्वारा समय-समय पर उसे दी जाने वाली सभी राशियाँ एवं समिति की सभी प्राप्तियाँ इस निधि में जमा की जाएंगी और समिति द्वारा सभी भुगतान उसी से किए जाएंगे।

(3) समिति इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी धनराशि व्यय कर सकेगी, जो वह उचित समझे और ऐसी धनराशि समिति की निधि से देय व्यय मानी जाएगी।

बजट

(4) समिति प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्रारूप में और समय पर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगी, जिसमें अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दर्शाए जाएंगे, उसकी प्रतियां सरकार को भेजी जाएंगी।

लेखा

(5) समिति अपनी निधि किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खाते में रखेगी, जो सरकारी निधियों को रखने के लिए प्राधिकृत हो, जैसा कि वह उचित समझे।

अंकेक्षण

(6) समिति के लेखों का अंकेक्षण प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय या सरकार द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा किया जाएगा।

(7) समिति के वार्षिक लेखों तथा उन पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सरकार को भेजे जायेंगे, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रख सकेगी तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन से उत्पन्न मामले पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति समिति को भेज सकेगी।

(8) समिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात यथाशीघ्र, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसे ऐसी तारीख और समय के पूर्व, जो विहित किया जाए, सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा राज्य सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को उसकी प्राप्ति के पश्चात यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

अध्याय – V

विविध

लोक सेवक की स्थिति/प्रतिष्ठा

13. इस अधिनियम के तहत स्थापित समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्य, जब इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके बाद बनाए गए नियमों या जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में कार्य करते हैं या कार्य करने का इरादा रखते हैं, तो उन्हें भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(28) के अर्थ के अधीन लोक सेवक माना जाएगा।

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

14. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए निदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात या समिति द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी भी प्रकार के अनुबंध के संबंध में समिति या अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

सरकार की निर्देश जारी करने की शक्ति

15.(1) सरकार किसी उच्चतर शिक्षण संस्थान को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसकी राय में उसमें निहित उपबंधों या उसके अधीन जारी किए गए किसी नियम या निर्देश के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और ऐसे उच्चतर शिक्षण संस्थान का प्रबंधन ऐसे प्रत्येक निर्देश का अनुपालन करेगा।

(2) सरकार अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश भी दे सकेगी जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक या समीचीन हैं और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे निदेशों का अनुपालन करे।

(3) सरकार को समिति के किसी भी निर्देश या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार होगा, जिसके लिए लिखित रूप में कारण दर्ज किए जाएंगे।

अन्य कानूनों को दरकिनार (Override) करने वाला अधिनियम

16. इस अधिनियम के उपबंध, किसी असंगत बात के होते हुए भी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

17. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले उपबंध कर सकेगी, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

नियम बनाने की शक्ति

18.(1) सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित

करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों को भविष्यलक्षी या भूतलक्षी दृष्टि से कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात:-

(i) समिति के सदस्यों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ii) इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन समिति द्वारा लेखाओं का रखरखाव करने के प्रकार और तरीके ;

(iii) अध्यक्ष और अन्य समिति सदस्यों के वेतन और भत्ते;

(iv) ऐसे अन्य मामले जो समिति के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हों।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह इस अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नीरज कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

12 नवम्बर, 2025

संख्या- एल0जी0-09/2024-51/लेज०-- झारखंड विधान सभा द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-11/11/2025 को अनुमत **झारखंड व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2025** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

THE JHARKHAND PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF FEE) ACT, 2025
(**Jharkhand Act- 11, 2025**)

-: Preamble: -

An Act to regulate fee for professional educational courses in the State of Jharkhand.

Be it enacted in the Seventy Sixth Year of the Republic of India by the Legislative Assembly of the State of Jharkhand as follows: -

Statement of Objects and Reasons:- Whereas the Government is satisfied that it is necessary, in the public interest, with the rationale for regulating fees and prohibiting profiteering and capitation fees being charged for professional education courses offered by Higher Educational Institutions in the State of Jharkhand.

The Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Act, 2025 is enacted accordingly.

CHAPTER – I
PRELIMINARY

Short title, extent, commencement, and application

1.(i) This Act may be called the Jharkhand Professional Educational Institutions (Regulation of Fee) Act, 2025

(ii) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand

(iii) It shall come into force from the date of its notification in the Jharkhand Gazette

(iv) It shall apply to all Higher EducationalInstitutions offering professional educational courses in the State of Jharkhand

2. In the Act, unless the context otherwise requires, -

(1) “Academic Year” means the period of twelve months commencing generally on

or after the 1st day of June every year;

(2) "All India Council for Technical Education" means the Council established by the All India Council of Technical for Technical Education Act, 1987;

(3) "Capitation Fee" means any amount, by whatever nomenclature it be called, whether in cash or in kind, paid or collected, received directly or indirectly from a student enrolled for professional educational courses in Higher Education Institutions, in addition to the fee determined under this Act;

(4) "Fee" means all fees including tuition fee and development fee, as determined and notified by the Fee Regulation Committee;

(5) "Fee Regulation Committee" or "Committee" means the Committee constituted under Section 3 of this Act for regulation of fee for admission to professional education courses in Higher Educational Institutions;

(6) "Government" means the Government of Jharkhand;

(7) "Higher Educational Institution" means a college or a school or an institute by whatever name called, imparting professional education courses, affiliated to a State University;or a private University established or incorporated by an Act of the State Legislature; or constituent unit of anInstitutedeemed to be University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (Act 3 of 1956); and approved or recognized by the appropriate and competent Regulatory Authority; or any other institution as notified by the Government;

(8) "Indian Council of Agricultural Research" means the council established as an autonomous organisation under the Department of Agricultural Research and Education (DARE), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India;

(9) "Management" includes the managing committee or any person, body of persons, committee or any other governing body, by whatever name called, in whom the power to manage or administer the affairs of an educational institution is vested;

Provided that the Board of Trustees or governing body of a Wakf Board, by whatever name called, constituted or appointed under any law of the time being in force relating to charitable and religious institutions and endowments and Wakfs shall be deemed to be a management for the purposes of this Act;

(10) "National Medical Commission" means the Commission established by the National Medical Commission Act, 2019;

(11) "Non-resident Indian" means a student born to a parent of Indian Origin and residing outside India;

(12) "Prescribed" means prescribed by the rules made under this Act

(13) "Professional education courses" means, -

(i) Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery;
(ii) Bachelor of Dental Surgery;
(iii) Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery;
(iv) Bachelor of Unani Medicine and Surgery;
(v) Bachelor of Naturopathy and Yoga;
(vi) Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery;
(vii) Bachelor of Engineering;
(viii) Bachelor of Technology;
(ix) Bachelor of Architecture;
(x) Bachelor of Pharmacy;
(xi) Bachelor in Hotel Management and Catering Technology;
(xii) Bachelor of Science in Nursing;
(xiii) Bachelor of Science in Agriculture;
(xiv) Bachelor in Business Administration;
(xv) Bachelor of Legislative Law / Bachelor of Law (LLB);
(xvi) Bachelor of Education;
(xvii) All master's degree courses in Medical Stream;
(xviii) Master of Pharmacy;
(xix) Master of Engineering;
(xx) Master of Technology;
(xxi) Master of Architecture;
(xxii) Master of Science in Nursing;
(xxiii) Master of Business Administration;
(xxiv) Master of Legislative Law / Master of Law (LLM);
(xxv) Master of Education;
(xxvi) Master of Science in Agriculture, and
(xxvii) Any other courseat the level of diplomaor undergraduate or postgraduate or doctoral or post doctoral level as may be declared by the Fee Regulation Committee, by notification, from time to time;

(14) "Regulatory Authority" means any statutory State or Central Regulatory Authority set up for the purposeof regulating Higher Education under any Act or Rules for the time being in force;

(15) "State University" means any University declared to be a State University under any Act of the Government;

(16) "Student" means person enrolled in the Higher Educational Institution for pursuing a professional education course for the award of a degree / diploma / certificate or other academic qualification;

(17) "Private University" means a University established or incorporated by an Act of the Government and its name enumerated in the Consolidated List of Private Universities released by the Universities Grants Commission.

CHAPTER – II

CONSTITUTION OF FEE REGULATION COMMITTEE

Constitution and Composition of the Committee

3.(1) The Government shall constitute a Committee called the Fee Regulation Committee to regulate the fee for professional education courses in Higher Educational institutions. The composition of the Committee shall be as follows: -

(i) a retired judge of the High Court of Jharkhand recommended by the Chief Justice of the High Court of Jharkhand.	Chairperson
(ii) Vice Chancellor of any State University nominated by the Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education	Vice Chairperson
(iii) a Chartered Accountant of repute nominated by the Chairperson	Member
(iv) a nominated representative of the National Medical Commission for professional courses related to Medical, Dental and Nursing Streams **or** a nominated representative of the All India Council for Technical Educationfor professional courses related to Engineering and Management Streams **or** a nominated representative of the Indian Council of Agricultural Research for professional courses related to Agriculture Streams **or** an eminent academician nominated by the Chairperson for professional courses related to any stream other than the above mentioned streams	Member
(v) Secretary to the Government, Department of Higher and Technical Education **or** Secretary to the Government, Department of Health, Medical Education and Family Welfare **or** Secretary to the Government, Department of Agriculture, Animal Husbandry & Co-operative (depending on the type of professional course)	Ex-officio Member Secretary

(2) All members of the Committee must be of unimpeachable integrity and of undoubted eminence in their fields.

(3) The Chairperson shall be appointed for a period of two years, further extendable for a maximum period of one year, or until he or she attains the age of 67 years, whichever is earlier.

(4) The Chartered Accountant shall be nominated by the Chairperson based on the norms and proceduresas prescribed in the rules and shallhold office at the will of the Chairperson.

(5) The term of the Chartered Accountant shall be co-terminus with the term of the Chairperson.

(6) The Chairperson of the Fee Regulation Committee shall not concurrently hold any other office of the Government of Jharkhand or Government of India.

(7) The nominated members of the Fee Regulation Committee as mentioned in sub-section (i) and (iii) of this section shall be nominated for period of 03 years; or till they hold office, whichever is earlier.

(8) The quorum for the meetings of the Committee shall be set at one-half of the total members.

(9) The Department of Higher and Technical Education, Government of Jharkhand shall provide secretarial support to the Fee Regulation Committee.

(10) The Government, shall preferably, within 3 months from the enactment of this Act, notify the constitution of the Fee Regulation Committee, for wide circulation and knowledge.

Appointment and Resignation of Chairperson and members

4.(1) The Chairperson shall be appointed by the Government on recommendation of the Chief Justice of the High Court of Jharkhand.

(2) No member of the Committee who is associated with any private higher educational institution shall be eligible for being a member of the Fee Regulation Committee.

(3) The Chairperson may resign from his/her position by submitting appropriate communication to the Governmentand the Chief Justice of the High Court of Jharkhand.

(4) In case, the Government accepts the resignation of the Chairperson, a suitable replacement shall be nominated by the Chief Justice of the High Court of Jharkhand, preferablywithin a maximum period of 02 months from the resignation acceptance date of the incumbent Chairperson by the Government.

Vacancies filled by the Government

5.(1) In the event of the occurrence of a vacancy in the office of the Chairperson by the reason of his / her death, resignation or otherwise, the Government shall appoint the Chairperson, in accordance with the provision of this Act, preferablywithin 03 months from the date of its vacancy.

(2) If the Chairperson is unable to discharge his / her functions owing to absence, illness, or any other cause, the Vice Chairperson, with the prior approval of the State Government, shall discharge the functions of the Chairperson till he/she assumes the charge of the duties.

Resignation and removal of members

6.(1) Any member of the Fee Regulation Committee, may by a notice in writing, addressed to the Government, resign from its position.

(2) The Government, if it deems fit, may by an order published in the State Gazette, remove any member including the Chairperson from its office, on grounds of public interest.

(3) No member shall be removed from the office without giving such member an opportunity to defend.

Salaries, Sitting Fees and Allowances to Chairperson and members

7. The salaries, sitting fees and allowances of the Chairperson and non-ex-officio members of the Fee Regulation Committee shall be as determined by the Government from time to timeas prescribed in the rules.

CHAPTER – III
POWERS OF THE FEE REGULATION COMMITTEE

Powers and Functions of the Fee Regulation Committee

8. The Fee Regulation Committee shall have the power to, -

(i) notify dates for submission of the proposed fee structure, along with all relevant documents, for professional education courses, from each Higher Educational Institution to be placed before the committee for scrutiny,before the commencement of the academic year;

(ii) monitor and regulate fee in Higher Educational Institutions in accordance with the rules, guidelines, and procedures, as prescribed;

(iii) verify whether the fee proposed by each institution is justified and it does not amount to profiteering or charging of capitation fee;

(iv) approve or modify the fee structure to be charged for professional education courses by Higher Educational Institutions;

(v) address grievances of student(s) regarding fee charged in a time bound manner;

(vi) to notify the programmes of study as professional education courses for purposes of this Act;

(vii) communicate its findings to the Higher Educational Institutions formally, as a direction to rectify deficiencies noted, within a reasonable timeframe. At all times Higher Educational Institutions shall have both the right to represent to the Committee, against conclusion on deficiencies, as well as the responsibility to comply with the deficiencies expeditiously;

(viii) to approve and notify procedures, formats, schedules by whatever name for the exercise of its powers under this Act;

(ix) To notify timelines for receipt, approval, clarificationor any other event by whatever name required to exercise its powers under the Act.

Procedure and

9.(1) The Fee Regulation Committee shall, for the purposes of any inquiry or

Powers of the Committee Central Act No. 05 of 1908

proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect to the following matters namely:-

(i) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him / her on oath;

(ii) requiring the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;

(iii) receiving evidence on affidavits;

(iv) requisitioning of public records;

(v) issuing commission for the examination of witnesses;

(vi) reviewing its decisions, directions and orders;

(vii) any other matters as may be prescribed.

(2) The Fee Regulation Committee shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter as it may consider appropriate.

(3) The Fee Regulation Committee may authorize any person, as it deems fit, to represent the interest of students in the proceedings before it.

(4) All disputes under this Act shall be summarily decided in accordance with the provisions of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.

Factors for determination of Fees

10.(1) The Fee Regulation Committee shall determine the fee to be charged for professional education courses by Higher Educational Institutions taking into account the following consideration namely-

(i) the location of the Higher Educational Institution;

(ii) the nature of the professional course;

(iii) the available infrastructure;

(iv) the expenditure on administration and maintenance;

(v) reasonable surplus, if any, required for the growth and development of the Higher Educational Institution;

(vi) the additional funds, if any, generated from Non-Resident Indian student;

(vii) the audited account of the Higher Educational Institution;

(viii) any other factors as the Committee may deem fit.

(2) No Higher Educational Institution shall collect any fee by whatever name or form, from the student for admission to professional education courses, without the approval of Fee Regulation Committee.

Provided that the Higher Educational Institution, in absence of the Fee Regulation Committee due to vacancy or otherwise, may charge fee for professional education courses for a maximum duration of one academic year. This fee shall be placed before the Fee Regulation Committee for its approval, after its constitution.

(3) No Higher Educational Institution shall collect any fee by whatever name or form the student for admission to professional education courses over and above the fee determined by the Fee Regulation Committee.

(4) The fee approved and notified by the Fee Regulation Committee shall be binding for respectiveHigher EducationalInstitutions for a period of three years from its notification. At the end of the said period, the Higher Educational Institution shall apply for revision. The fee so determined shall be applicable to a student enrolled for professional education courses for the given academic year and shall not be

revised till the completion of the professional education course.

(5) The committee shall have the power to review and approve the fee structure for professional education course in Higher Educational Institutions ordinarily for a period of three academic years, and under special circumstances, for a period of one or two years, as the case may be, for reasons recorded in writing.

(6) No higher educational institution shall collect a fee amounting to more than one year's fee from a studentduring one academic year.

Concession to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward class student

(7) The Fee Regulation Committee may determine different fees in respect of different professional education courses of Higher EducationalInstitutions depending upon the facilities available and for this purpose it may place similarly placed Higher Educational Institutions in broad groups.

Provided that the Fee Regulation Committee may allow such Higher EducationalInstitutions to collect a higher fee from Non-Resident Indian student over and above the fee determined for other student. This higher fee shall be utilized for providing concession in fee to student belonging to reserved categories as per the State's Reservation Policy.

Penalties

11.(1) Any complaint regardingcollectionof capitation fee or profiteering by any Higher Educational Institution shall be enquired into by the Fee Regulation Committee, which shall, after obtaining the evidence and the explanation of the management of the Higher EducationalInstitution concerned, shall take the appropriate penal action as it deems fit.

(2) No penal action shall be imposed unless the Higher Educational Institution concerned is given an opportunity of being heard. The detailed procedure for receipt and disposal of complaints against Higher Educational Institutions shall be notified by the Fee Regulation Committee.

(3) The Committee may, for the contravention of any provision of this Act or the rules made thereafter or directions issued by the Committee, and/or for non-compliance of any orders, on being found guilty, may impose penal fine, which may extend to Rupees Twenty Lakh.

(4) In addition to imposition of the penal fine under sub-section(3), for contravention of any provision of the Act, or rules made thereafter, the Committee may recommend to the appropriate regulatory authority for withdrawal of recognition and to the affiliating University for rejection of affiliation, as applicable.

(5) The penal fine under sub-section (3), may be imposed, without prejudice, over and above to the penalty specified in any other law, for the time being, in force.

CHAPTER – IV
FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Finance Accounts and Audit

12.(1) The State Government may, after due appropriation by the State Legislature, may make grants to the committee in each financial year such sums as it considers necessary for the performance of functions under this Act.

(2) The Committee shall have its own Fund; and all sums which may from time to time be paid to it by the Government and all the receipts of the Committee shall be credited to the Fund and all payments by the Committee shall be made there from.

(3) The Committee may spend such sums as it deems fit for performing its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the Fund of the Committee.

Budget

(4) The Committee shall prepare, in such form and at such time, each year as may be prescribed, a budget in respect of the ensuing financial year, showing the estimated receipts and expenditure, copies thereof shall be forwarded to the Government.

Accounts

(5) The Committee shall maintain its Fund in account in any Scheduled Commercial Bank authorized to hold Government funds in such manner as it deems fit.

Audit

(6) The accounts of the Committee shall be audited annually by the Office of the Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed by the Government.

(7) The annual accounts of the Committee together with the audit report thereon shall be forwarded to the Government, which may, lay the same before the State Legislature and may forward a copy of the audit report to the Committee for taking suitable action on the matter arising out of the audit report.

(8) The Committee, as soon as, may be, after the end of each financial year, prepare and submit to the Government, before such date and time as may be prescribed, a report giving an account of its activities during the previous financial year and the State Government, shall place, every such report, before the State Legislature, as soon as, may be, after its receipt.

CHAPTER – V
MISCELLANEOUS

Status of Public Servant.

13. The Chairperson and all the member of the committee established under this Act, when acting or purporting to act in pursuance of any provisions of this Act, or rules made or directions issued thereafter shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 2 (28) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Protection of actions taken in good faith

14. No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against the committee or Chairperson or any member in respect of anything done or intended to be done in good faith, or any contract of any kind entered into by the Committee in good faith in pursuance of this Act, or the rules made,or directions issued thereunder.

Power of the Government to issue directions

15.(1) The Government may give such directions to any Higher EducationalInstitution as in its opinion is necessary or expedient for carrying out the provisions contained therein or any rules or directions issued thereunder and the management of such Higher EducationalInstitution shall comply with every such direction.

(2) The Government may also give such directions to the officers or authorities under its control as in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act, and it shall be the duty of such officer or authority to comply with such directions.

(3) The Government shall be empowered to seek a review of any of the directions or orders of the Committee, for reasons to be recorded in writing.

Act to override

16. The provisions of this Act shall have the effect, notwithstanding anything

inconsistent therewith, contained in any other law, for the time being in force. **other laws**

17. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty. **Power to remove difficulties**

18.(1) The Government may, by notification published in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act prospectively or retrospectively for carrying out the purposes of this Act. **Power to make rules**

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely : -

(i) procedure to be followed by the members of the Committee in the discharge of their functions;

(ii) the form and manner in which accounts shall be maintained by the Committee under Section 12 of this Act;

(iii) Salaries and Allowances of the Chairperson and other Committee members;

(iv) such other matters as may be required for proper functioning of the Committee.

(3) Every rule made under this act shall have effect as if enacted in this Act.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नीरज कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 510 - 50